

प्रपत्र – 3 / FORM-3

नियम 54(12) केंद्रीय सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियम 1972 देखें/ (See Rule 54(12) Central Civil Services (Pension) Rules 1972)

परिवार का विवरण / DETAILS OF FAMILY

सरकारी कर्मचारी का नाम / Name of Government Servant :
पद / Designation :
जन्म तिथि/ Date of Birth :
नियुक्ति की तिथि /Date of Appointment :
मेरे परिवार के सदस्यों का विवरण *अभी तक :
Details of the Members of my family *as on

क्र.सं. S. No.	परिवार के सदस्यों के नाम Name of the members of Family*	जन्म तिथि Date of Birth	अधिकारी के साथ संबंध Relationship with the Officer	वैवाहिक स्थिति Marital status	टिप्पणी Remarks	तिथि और कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर Date & Signature of Head of Office
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

मैं, एतद् द्वारा, वचन देता हूँ कि उपरोक्त विवरणों में किसी अतिरिक्त या परिवर्तन हेतु लेखा परीक्षा अधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को सूचित कर अद्यतन करूँगा/ करूँगी।

I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the Audit Officer / Head of Office any addition or alteration.

स्थान/ Place :

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

दिनांक/ Date :

Signature of the Govt. Servant

* इस उद्देश्य के लिए परिवार का अर्थ है / Family for this purpose means

(क) पत्नी, पुरुष के सरकारी नौकरी के मामले में / (a) wife, in the case of a male Govt. Servant,

(ख) पति, महिला के सरकारी नौकरी के मामले में / (b) husband, in the case of female Govt. servant,

(ग) अठारह वर्ष से कम उम्र के बेटे और चौबीस साल से कम उम्र की अविवाहित पुत्री, जिनमें ऐसे पुत्र या पुत्री शामिल हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति से पहले कानूनी रूप से गोद लिया गया था।

(c) sons below eighteen years of age and unmarried daughters below twenty four years of age, including such son or daughter adopted legally before retirements.

नोट:- पत्नी और पति में क्रमशः न्यायिक रूप से अलग पत्नी और पति सम्मिलित होंगे।

Note.- Wife and husband shall include respectively judicially separated wife and husband.